



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र / REGISTRATION CERTIFICATE

पं. संख्या / REG. NO.- COOP/2021/BHARATPUR/201223

दिनांक / DATE- 13-02-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि **BRAJ JAN KALYAN SAMITI** जिला **BHARATPUR** का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **BRAJ JAN KALYAN SAMITI** AT DISTRICT **BHARATPUR** IS REGISTERED UNDER 'THE **RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958)** '. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.



Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:18 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



श्री बृज जनकल्याण समिति भरतपुर

संघ विधान पत्र

1. संस्था का नाम इस संस्था का नाम नाम बृज जन कल्याण समिति है व रहेगा ।
- (2) पंजीकृत कार्यालय - इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पुष्प वाटिका कॉलोनी, भरतपुर में रहेगा तथा इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला राजस्थान तक सीमित होगा ।
- (3) संस्था का उद्देश्य इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:-
1. राज्य व केन्द्र सरकार की चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु उनके नियमानुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, फार्मसी कॉलेज वेटेनरी कॉलेज, पैरा मैडिकल कॉलेज (LAB, XRAY, CT MRI, OT, ECG, ENDOSCOPY, CATH LAB आदि कोर्सेज), फिजियोथैरेपी कॉलेज, अभियांत्रिकी व तकनीकी कॉलेज, कृषि विज्ञान कॉलेज, मेनेजमेन्ट कॉलेज, कम्प्यूटर कोर्सेज व हॉस्पिटल की स्थापना करना ।
 2. राज्य सरकार की चिकित्सा पद्धति हेतु डाइग्नोस्टिकस सेन्टर जैसे X-Ray, मैडिकल लैब जाँचे, CT SCAN, MRI SCAN सेन्टरों आदि की स्थापना करना व राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में होने वाली जाँचों आदि का कार्य भी करेगी । मैडिकल, नर्सिंग व डेन्टल कॉलेज में समाजोपयोगी कार्य करवाना व उन्हें क्रियान्वित कर समाज को राहत पहुँचाना, इसके लिये सभी जाति के विद्यालयों के लिये योग्य शिक्षण विद्यालय व कॉलेज चलाना व सम्पूर्ण मानसिक व शारीरिक विकास के लिये छात्रावासी उचित व्यवस्था करना भी समिति का प्रमुख उद्देश्य रहेगा ।
 3. राज्य सरकार की चिकित्सा पद्धति हेतु संस्था स्वयं के अथवा निजी डाइग्नोस्टिक सेन्टरों से समन्वय/एम.ओ.यू. स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में होने वाली जाँचों आदि का कार्य भी करेगी। शुद्ध पानी, पौष्टिक आहार, स्वच्छ शौचालय व गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था, मौसमी बीमारियों धूमपान व शराब से होने वाली बीमारियों इत्यादि के बारे में विस्तार से प्रचार-प्रसार करना ।

पुजा
अध्यक्ष

मत्री

राय
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur

4. भारत में संचालित साइन्स विद्यालयों में साइन्स विषय के विकास व विस्तार में सहयोग करना इसके लिये लेबोरेट्री, वर्कशॉप, पुस्तकालय इत्यादि की स्थापना में सहयोग करना। इस विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देना व उनके विकास के लिये चाईल्ड वेलफेयर में सहयोग करना।
5. राज्य, केन्द्र सरकार एवं नगर निकायों से अनुदान लेकर जन कल्याण के विकास कार्यों का संचालन करना।
6. प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, अस्पतालों, अनाथालायों आदि की स्थापना एवं संचालन व उनके लिये नियम व उपनियम निर्धारित करना।
7. राष्ट्र एवं राष्ट्र पर आये संकट जैसे बाढ़, अकाल, युद्ध, महामारी में राष्ट्र के कन्धा से कन्धा मिलाते हुये कार्य करना एवं देश की अखण्डता व एकता के लिये कार्य करना।
8. महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये समय-समय पर शिविरलगाना व प्रचार-प्रसार करना।
9. सुरक्षित प्रसव व गर्भपात के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाना, टी.वी. ऑडियो, विडियो, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से इनकी जानकारी गांवों तक पहुंचाना।
10. संस्था की पूंजी जिसकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं हो विनियोजित तथा व्यवहार ऐसी प्रतिभूतियों तथा तरीकों से करना जो समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावे।
11. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला विद्यालय, महाविद्यालय, विद्याश्रम खोलना व इनका संचालन करना व करवाना।
12. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधी शिक्षा हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, इनका संचालन करना व करवाना तथा अन्य तरह की शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना, इनका संचालन करना व करवाना।
13. संस्था सामाजिक उत्थान के लिए समाज के निराश्रित बालकों, विधवाओं, कुपोषण के शिकार बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निराश्रित बालगृह, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पोषाहार, बालाहार, आंगनवाड़ी एवं वालवाड़ी, शिशु पालना गृह आदि स्थापित करने का प्रयास करेगी, संस्था साधनहीन वृद्धों, विकलांगों, कोढियों के लिए भोजन वास, आवास, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य संबर्द्धन के लिए पुर्नवास, ग्रहो की व्यवस्था करेगी।
14. संस्था बंजर भूमि विकास, पर्यावरण सुधार एवं वृक्षावली प्लान्टेशन आदि के लिए वातावरण निर्माण एवं वृक्षारोपण से भूमि को उर्वरा शक्ति बनाये रखने के उपायों आदि के लिए राजस्व विभाग, वन एवं पर्यावरण सुधार विभाग आदि की योजनाएं के क्रियान्वन का कार्य करेगी तथा पर्यावरण को सुरक्षित बनाये रखने के लिए वर्मीकम्पोस्ट खाद का भी निर्माण करेगी।

पूजा
अध्यक्ष

मन्त्री

Rajni
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh
Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



15. संस्था महिलाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, डेयरी उत्पादन, महिला जागरूकता शिविर, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र बाल विकास केन्द्र, कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय छात्रावास, आयाओं के प्रशिक्षण केंद्र, आयोजिका प्रशिक्षण केंद्र आदि के संचालन के भी प्रयास करेगी।
16. संस्था पशुपालन द्वारा रोजगार पैदा करने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन से रोजगार के साधन पैदा करने का प्रयास करेगी इस हेतु सूअर पालन, गाय पालन, भेड़-बकरी पालन, भैंस पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि कार्यक्रमों के प्रशिक्षण एवं वित्त पोषण करने का प्रयास करेगी, संस्था आवारा गायों को इकट्ठा कर गौशाला प्रबंधन व संचालन का कार्य करेगी।
17. संस्था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए झाड़ू बनाना, व छोटे-छोटे कारखानों का भी कार्य करेगी।
18. संस्था जनमानसों में आपसी सौहार्द तथा धार्मिक आस्था बनाये रखने के लिए मंदिरों आदि का निर्माण एवं संचालन का भी कार्य करेगी।
19. राज्य व केन्द्र सरकार की द्वारा संचालित निकायों, निगमों, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, फार्मसी कॉलेज वेटेनरी कॉलेज, पैरा मैडिकल कॉलेज, फिजियोथैरेपी कॉलेज, अभियांत्रिकी व तकनीकी कॉलेज, कृषि विज्ञान कॉलेज, मेनेजमेन्ट कॉलेज, व हॉस्पिटलों आदि के सुचारु रूप से संचालन के लिए मैनुपावर उलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी।
20. संस्था आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि लेकर उसपर कृषि, समाज को रहत पहुँचाने के लिए रोजगारपरक कार्य, अन्य कार्य करेगी।
21. संस्था अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्यों के अनुसार विधिवत कार्य संपादन हेतु समितियों का अलग से गठन कर सकेगी।
22. संस्था द्वारा विशेष योग्यजनों, विकलांग जनों के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय, महाविद्यालय तथा छात्रावासों का संचालन करने का काम भी करेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

पूजा
अध्यक्ष

अ
मंत्री

Rajni
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh
Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पागल, दीवालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1-संरक्षक
- 2-विशिष्ट
- 3-सम्माननीय
- 4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- 1-संरक्षक राशि.....वार्षिक/आजन्म
- 2-विशिष्ट राशि.....वार्षिक/आजन्म
- 3-सम्माननीय राशि.....वार्षिक
- 4-साधारण राशि...2400.....वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग-पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

पुजा
अध्यक्ष

मन्त्री

Rajni
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:--

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

16

पूजा
अध्यक्ष

मन्त्री

Rajni
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक
3. मंत्री-एक 4. कीर्षाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-~~सत्त~~ चार

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में तीन पदाधिकारी व
..... चार सदस्य कुल सात सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

पूजा
अध्यक्ष

an
पत्री

Rajni
कीर्षाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh Meena
Designation : REGISTERAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



14. कार्यकारिणी की बैठकें :- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मंत्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

18

पूजा
अध्यक्ष

मन्त्री

राजेश
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh Meena
Designation : REGISTERAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कीषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेंगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19

पूजा
अध्यक्ष

मन्त्री

Rajni
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh
Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur



17. कोष सम्बन्धी
विशेषाधिकार :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी
संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष एक लाख.....रु.

2-मन्त्री पचास हजार.....रु.

3-कोषाध्यक्ष पचास हजार रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक
की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार
संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान
में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3
बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का
विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति
समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे
का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थाएँ भरतपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच
करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) पूजा जैन कल्याण समिति

समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

द्वारा 4 व 12 की मूचना -> संस्था द्वारा परिवर्द्धन, परिवर्धन,
संशोधन करने पर 2 मही मूचना, 14 दिवस के अन्दर
रजिस्ट्रार संस्थाएँ भरतपुर को दी जावेगी।

अध्यक्ष

20

कोषाध्यक्ष

पूजा
अध्यक्ष


मन्त्री

Rajni
कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh
Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur






शपथ पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था बृज जन कल्याण समिति के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था बृज जन कल्याण समिति के पंजीयन हेतु कुल 15 आवेदक सदस्य है।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं0 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावित सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, भरतपुर को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त विन्दु सं0 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, भरतपुर को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

पूजा
अध्यक्ष


मंत्री

Rajni
कोषाध्यक्ष


सत्यापन

इस उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करने है कि बिन्दु सं0 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आपने पर रजिस्ट्रार संस्थायें भरतपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

पूजा
अध्यक्ष


मंत्री

Rajni
कोषाध्यक्ष

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
BHARATPUR (RAJ.)

01-11-2021

IDENTIFIED BY

Signature Not Verified

Digitally signed by Satendra Singh Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.02.13 16:03:21 IST
Reason: Approved
Location: Bharatpur

